189/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 189/2016 अनवानी श्री जयप्रकाश निवासी एच 676 एम.आई.ए. सेकेण्ड फेस, बासनी जोधपुर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

A3

11–02–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री लालचंद मिढा उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा कुल 30 बिन्दुओ की सूचना चाही थी जिसके संबंध में प्रार्थी को बिन्दु सं0 23 की सूचना के लिए 6रूपये राशि जमा करवाने के लिए लिखा गया था जो उसके द्वारा जमा नही करवाई गई है शेष बिन्दु सं0 1 से 22 व 24 से 30 की चाही गई सूचनांए कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है और कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाली है। उक्त सभी 30 बिन्दुओ की सूचनाओं के संबंध में प्रार्थी को पत्र दिनांक 29.11.16 से समय अवधि में उत्तर भिजवाया जा चुका है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.11.206 के द्वारा कुल 30 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी से चाही है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि लोक सूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की धारा 2(च) के तहत सूचना देने से ईन्कार कर दिया है। अतः अपील स्वीकार करके वांछित सूचनांए दिलवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना जबाब जरिये पत्र सं0 1964 दि0 26.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओं के संबंध उनके कार्यालय के पत्र सं0 1910 दिनांक 29.11.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से उत्तर दिया जा चुका है इसलिए अपील खारिज की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1910 दिनांक 29.11.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में सूचित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 23 की सूचना.....आवंटी के कब्जा काश्त के संबंध में फार्म न0 16 व सनद संख्या 6687 की प्रति हेतु निर्धारित शुल्क 2/–रूपये प्रति पृष्ठ की दर से 6/– रूपये जमा करवाने पर उक्त फार्म न0 16 की प्रति जारी कर दी जावेगी। शेष बिन्दु संख्या 1 से 22 व 24 से 30 की सूचना "राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
>
> यदि आप प्रकरण से सम्बन्धित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहते है तो कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर कर सकते हैं और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपी नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई 30 बिन्दुओ की सूचना के बिन्दु स0 23 के संबंध में 6रूपये राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अपीलार्थी को बिन्दु सं0 23 की सूचना के संबंध में 6 रूपये राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। शेष बिन्दुओ की सूचना धारा 2(च) के अनुसार देय नही होने से उपलब्ध नही करवाई गई है और उपलब्ध संबंधित अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 से 22 व 24 से 30 की चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 29.11.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी लोक सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से किसी निश्चित अभिलेख की प्रतिलिपी लेना चाहे तो वह नियमानुसार दे दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

523-24 06/3/17

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर